1649

क्रम संख्या 007

(जो पक्षकार अथवा साक्षी द्वारा भरा जाने वाला)

लेख प्रस्तुत करने का दिनांक 28/12/89

साक्षी का नाम ग्रेटर ... [illegible]

राशि

शुल्क

... शुल्क 5/-

... के लिए शुल्क

... के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क

... 29/9/07

... का दिनांक

प्रतिलिपि या उसका प्रमाण-पत्र ... देने के लिए तैयार होगा

... अधिकारी के हस्ताक्षर

Sub-Registrar (II)
Ghaziabad

1649

100Rs.

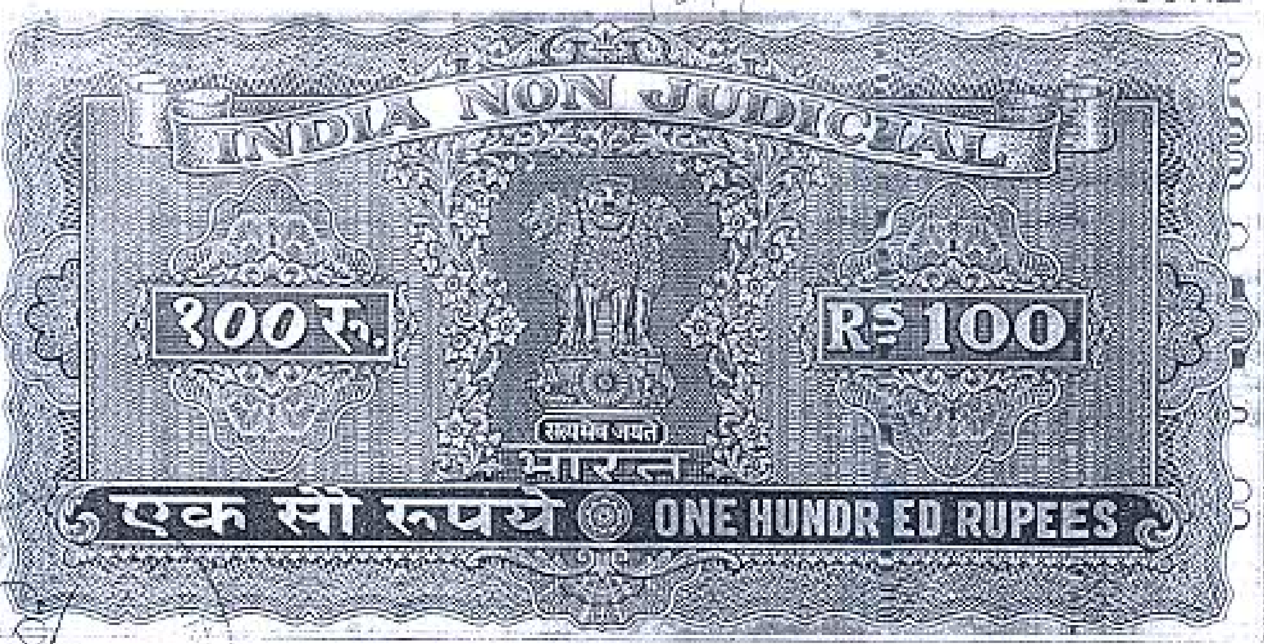


23 FEB 2004

वाणिज्य / व्यावसायिक

[illegible]

25/12/04

[illegible]

Ansal [illegible] ction Ltd.

[illegible] Authorised S[illegible]

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)

गाजियाबाद ।

सेवा में, सचिव,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद ।

पत्र संख्या: 96/स्टाम्प/वि0रा0/2003-04

फरवरी 25, 2004

महोदय,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, तथा मैसर्स अंसल हाउसिंग फाइनेंस एण्ड लीजिंग कम्पनी के मध्य भूखण्ड संख्या ए-16 से लेकर ए-20, ब्लॉक आर-1, गाजियाबाद के 5300 वर्ग मीटर के भूखण्ड के पट्टा विलेख का निष्पादन 53 लाख रू0 के प्रीमियम पर दिनांक 20.11.1985 को किया गया था जिसे धारा-33, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत अवरुद्ध करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गाजियाबाद द्वारा दिनांक 01.05.1992 को 6,09,443/-रू0 कमी स्टाम्प तथा 557/-रू0 अर्थदण्ड योग 6,10,000/-रू0 आरोपित किये थे जिन्हे मूल विलेख पर मोहर सहित लिखित प्रमाण-पत्र दिनांक 05.05.1992 के अनुसार चालान संख्या ए-77 दिनांक 04.05.1992 को जमा कराया जा चुका है तथा धारा-16, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार पूर्व में निष्पादित पट्टा अनुबन्ध, जिसके क्रम में प्रस्तावित पट्टा विलेख निष्पादित किया जा रहा है, पर पूर्व में दिये गये स्टाम्प का समायोजन उपरोक्तानुसार विधिक है।

भवदीय,

(वी0के0 पंवार)

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)

गाजियाबाद ।

Ansal Housing & Costruction Ltd.

Authorised Signatory

SITE PLAN OF PLOT NO. A-16, A-17, A-18, A-19, A-20, RAJ-NAGAR DISTT. - CENTRE GHAZIABAD U.P.

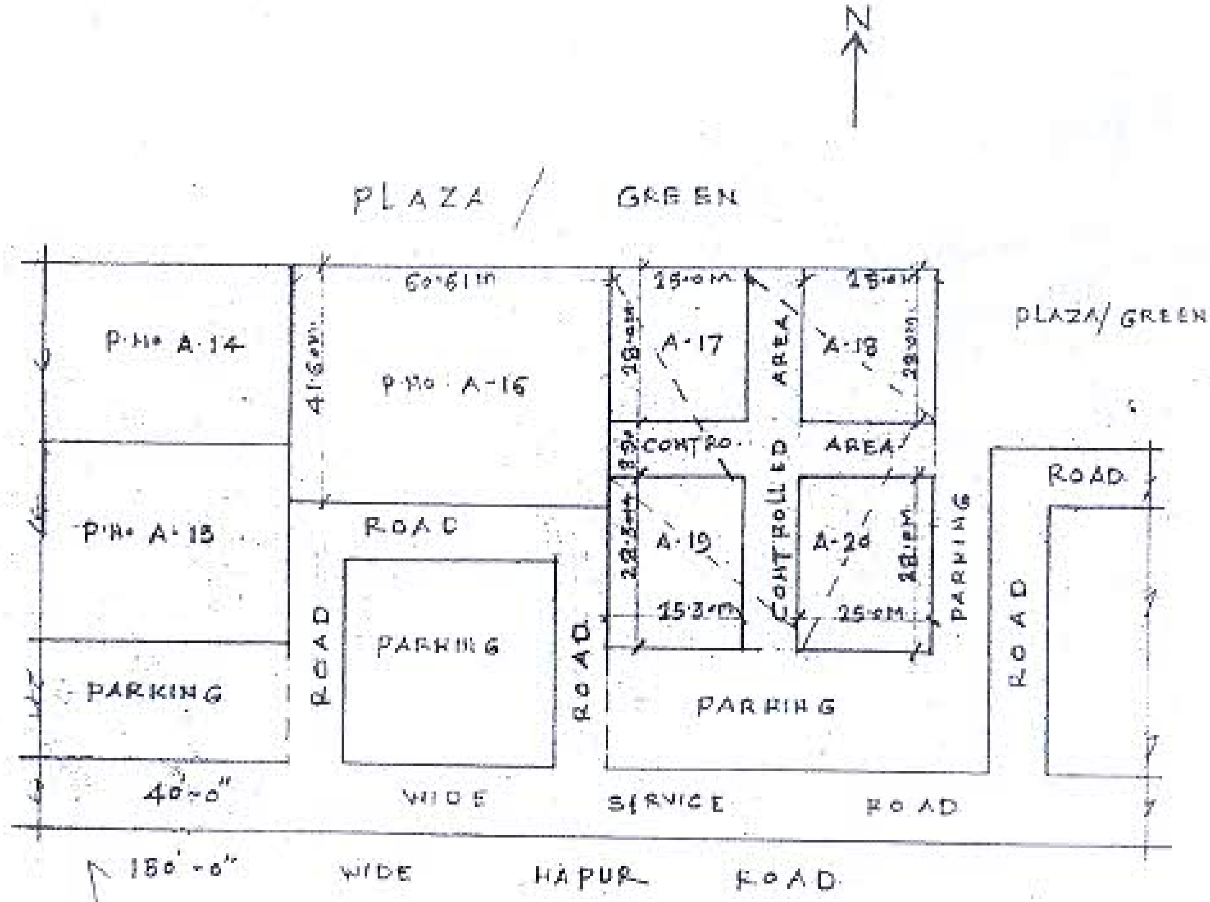


AREA CHART IN SQM.

| P.No | SALEABLE AREA |
|---|---|
| 16 | 2521.37 SQM |
| 17 | 700.00 " |
| 18 | 700.00 " |
| 19 | 715.92 " |
| 20 | 700.00 " |

Ansal Housing & Construction Ltd.

Authorised Signatory

16-1-04

PREPARED BY

COMPARED BY

MALKHAN SINGH 23-1-2003

MEASURED BY

ASSTT. ENGINEER

TOWN PLANNER

Ansal Housing & Construction Ltd.
[signature]
Authorised Signatory

# ~~वाणिज्य/~~ आवासिक क्षेत्र में भवन निर्माणार्थ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि का पट्टा

यह विलेख सन् 2005 ई० के माह फरवरी के 2(?) वें दिन को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जिसे आगे चलकर 'प्राधिकरण' कहा जाता है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी तथा अभ्यार्पित सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्ष तथा मै० अन्सल हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन लि० द्वारा जनरल मैनेजर श्री एस० के० राजवंशी पुत्र श्री ओ० दास नि० B.134 से० 3 मयूर विहार फेज-2 (दिल्ली) जिसे आगे चलकर 'पट्टेदार' कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हों, उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुमति प्राप्त अभ्यार्पित सम्मलित होंगे) दूसरे पक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूंकि भवनों के निर्माणार्थ भूखण्डों के निस्तारण से सम्बन्धित बनाये गये नियमों के आधीन विकास प्राधिकरण एतत्पश्चात उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों पर गाजियाबाद के विनियमित क्षेत्र के समक्ष अधिकारी द्वारा अनुमोदित सैट बैक तथा रेखाचित्र के अनुसार आवासिक भवन के निर्माण हेतु आगे चलकर वर्णित भूखण्ड को पट्टे पर देने और पट्टेदार उसे पट्टे पर प्राप्त करने को सहमत हुए है।

अत: यह पट्टे का विलेख निम्न बातों का साक्षी है :-

1. कि रु० 57,48320.00 (रुपये शब्दों में सतावन लाख अड़तालीस हजार तीन सौ बीस) के प्रीमियम के प्रतिफल स्वरूप तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक अंकन रु० 191,611.00 (रु० शब्दों में एक लाख इक्यानवे हजार छ: सौ ग्यारह) (90 वर्ष की पट्टा अवधि का निश्चित किराया जिसका भुगतान प्राधिकरण को पट्टेदार द्वारा किया जा चुका है और जिसकी प्राप्ति प्राधिकरण द्वारा एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है)

Ansal Housing & Construction Ltd.
[signature]
Authorised Signatory

[signature]
सहायक अभियन्ता
गा०वि०प्रा० गाजियाबाद

और इसमें उल्लिखित प्रविदाओं, प्रसंविधाओं तथा अनुबन्धों तथा पट्टेदार द्वारा क्रमशः उनके भुगतान, अनुपालन तथा सम्पादन किए जाने के प्रतिफल स्वरूप भी प्राधिकरण एतद्द्वारा गाजियाबाद में सैक्टर संख्या ...A.S.C...... राज नगर में .........A................ ब्लाक में स्थित .........राज नगर.......... प्लाट संख्या ..A.16 से A.20... का जिसका क्षेत्रफल .....5337.36.... वर्ग गज/वर्ग मीटर या उससे कुछ अधिक या कम होगा।

और जिसका सीमांकन निम्न प्रकार है :-

उत्तर की ओर –
दक्षिण की ओर –
पूरब की ओर –
पश्चिम की ओर –

(संलग्न Site Plan के अनुसार)

और उस उक्त भूखण्ड की सीमाओं को संलग्न रेखा चित्र में दिखाया गया है और उसमें लाल रंग से रंग दिया गया है, वह सभी भूखण्ड एतद्द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर देता है ताकि पट्टेदार उक्त भूखण्ड (जिसे आगे चलकर 'पट्टा भूखण्ड' कहा गया है) और उससे सम्बन्ध अधिकारों को दिनांक 22.7.91 से 30 (तीस) वर्ष की अवधि के लिए धारण करे किन्तु प्राधिकरण के पत्र में निम्नलिखित अधिभार सदैव आरक्षित होंगे।

(क) यदि प्राधिकरण उक्त क्षेत्र का विकास किया जाना आवश्यक समझे तो पट्टा भूखण्ड के नीचे तथा ऊपर जल सम्वाहक, नालियाँ, सीवरों या बिजली के तारों को डालने, बनाने, या बिछाने के अधिकार।

(ख) पट्टा भूखण्ड या उसके किसी भाग में रहने वाले सभी खानों और खनिजों के सम्पूर्ण अधिकार तथा आगम।

2. पट्टेदार प्राधिकरण के साथ एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा प्रसंविदा करता है।

1. पट्टेदार सभी दरों, करों परिव्ययों और प्रत्येक प्रकार के ऐसे अवधारणों को, जो कि उक्त अवधि में पट्टा भूखण्ड पर या उस पर निर्मित होने वाले भवनों के सम्बन्ध में स्वामी या किरायेदार या, अध्यासी पर अवधारित, भारित या आरोपित किये जाये वहन भुगतान तथा निस्तारण करेगा।

2. कि पट्टेदार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर पालिका, गाजियाबाद की वर्तमान या भविष्य में प्रभावी सभी ऐसी उपविधियों तथा नियमों का पालन एवं अनुपालन करेगा जो स्थावर सम्पत्ति के दखल के सम्बन्ध में प्रासंगिक हो या जो उक्त स्थान के अन्य निवासीयों के स्वास्थय, सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालते हों।

उपसचिव / अधिकारी
जी०डी०ए० गाजियाबाद

Ansal Housing & Construction Ltd.

Authorised Signatory

3. कि पट्टेदार अपने खर्च से पट्टा भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित रेखाचित्र बाह्य उद्विक्षेप तथा डिजाइन और स्थिति के अनुसार एक आवासिक भवन या सारभूत एवं शिल्प कौशल रूप में निर्माण करायेगा जिसमें भवन, नालियों, शौचालयों तथा सीवर, संयोजनों के सम्बन्ध में विहित प्राधिकरण तथा नगर पालिका नियमावली तथा उप-विधियों के अनुसार सभी आवश्यक सीवरों, नालियों तथा अनुलग्नकों का प्राविधान होगा।

4. कि पट्टेदार सदैव प्राधिकरण के संतोषानुसार पट्टा भूखण्ड तथा भवनों को अच्छा और सारभूत प्रकार से मरम्मत करवायेगा और उन्हें स्वच्छ दशा में रखेगा।

5. कि पट्टेदार प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र तथा अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल उक्त भवनों या पट्टा भूखण्ड पर तत्समय होने वाले निर्माणों में न तो कोई परिवर्तन करेगा या उनके किए जाने की अनुमति देगा और न कोई नया निर्माण करेगा अथवा करने की अनुमति देगा और यदि ऐसी शर्तों या रेखा चित्रों से किसी प्रकार का कोई अन्तर होगा तो वह प्राधिकरण की नोटिस की प्राप्ति के तुरन्त बाद ऐसे अन्तर को उपराक्तानुसार ठीक कर लेगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति के एक पंचाग मास के भीतर यदि पट्टेदार ऐसे अन्तर को सही करने में असावधानी बरतेगा तो प्राधिकरण के लिए यह वैध होगा कि पट्टेदार एतद्द्वारा करार करता है कि वह उक्त धनराशि की जिसे प्राधिकरण तदर्थ निश्चित करें तथा जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा प्रतिपूर्ति भुगतान द्वारा प्राधिकरण कर देगा।

6. कि पट्टेदार प्राधिकरण की सहमति के बिना उक्त पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का उपयोग न तो किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ या उपरिलिखित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ करेगा या किये जाने की अनुमति देगा और यदि प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुमति प्रदान की जायेगी तो पट्टेदार उनमें उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों का पालन करेगा। पट्टेदार उक्त भूखण्ड अथवा भवन पर या उसके किसी भाग पर न तो कोई ऐसा कार्य करेगा और न करायेगा जो प्राधिकरण को या पास पड़ौस से अन्य भूस्थानों स्वामियों या अध्यासियों को कंटक स्वरूप प्रतीत होते हों या जिससे उन्हें क्षति, अड़चन या असुविधा होती हो।

7. कि पट्टेदार किसी भी दशा में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा भूखण्ड का अभ्यर्पण परित्याग (प्राधिकरण के पक्ष के अतिरिक्त) न करेगा और न बन्धक रखेगा और न ही उसे शिकमी उठायेगा या अन्तरित करेगा और न ही उस पर होने वाले दखल को छोड़ेगा। प्राधिकरण को अपने स्वविवेकानुसार ऐसी अनुमति प्रदान करने या न करने का अधिकार होगा और ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने की दशा में प्राधिकरण अपने साथ ऐसे अनुबन्ध के निष्पादन किये जाने हस्तान्तरिति से अपेक्षा करेगा, जिसे प्राधिकरण प्रस्तुत करें।

सहायक [illegible]
बी०डी०ए० [illegible]

Ansal Housing & Construction Ltd

Authorised Signatory

8. कि पट्टेदार पट्टा भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र से कम उसके किसी भाग को तथा उस पर बने भवन को या उसके किसी भाग को या दोनों को न तो अभ्यार्पित व परित्याग करेगा और न ही उन्हें बन्धक रखेगा ओर न शिकमी उठायेगा और न अंतरित करेगा और न वह उन्हें खन्डित करके या किसी अन्य प्रकार से उनका उपविभाजन करेगा।

9. सम्पूर्ण पट्टा भूखण्ड या भवन या दोनों के सम्बन्ध में किया गया प्रत्येक अन्तरण, अभ्यर्पण परित्याग, बन्धक या शिकमी पर उठाया जाना इस विलेख में उल्लिखित सभी प्रसंविदाओं तथा शर्तों के आधीन होगा और जो कि सब अभ्यर्पिती या शिकमी किरायेदारों पर बाध्यकर होगें और वे इस सम्बन्ध में उनके लिए प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होगें। किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह होगा कि जब कभी पट्टेदार या उसके अन्तरिती या अनुमति प्राप्त अध्यर्पिती, जैसी भी दशा हो पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन को उक्त अवधि के लिए अध्यर्पित परित्याग, बन्धक करेगें शिकमी पर उठायेंगे या अन्तरण करेंगे तो व अपने खर्च प्राधिकरण, के कार्यालय में अभ्यार्पण परित्याग, बन्धक या अन्तरण विलेख की एक प्रमाणित प्रति भी जमा करेंगे और इसके साथ ही इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट या किसी अन्य संशोधनात्मक संविधि के अधीन विधिवत प्रकार से उसकी रजिस्ट्रीकरण होने के पश्चात् एक मास के भीतर उसकी सूचना भी प्राधिकरण को देंगे।

10. कि पट्टेदार प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों और उसके कर्मकारों तथा उसके द्वारा समय-समय सेवायोजित अन्य व्यक्तियों को उक्त अवधि के दौरान सभी समुचित समयों पर पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाले भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिससे कि वे उनका परीक्षण तथा पूर्वोक्त वर्णित आवश्यक कार्यों का निर्माण कर सकें पर ऐसा किए जाने के पूर्व प्राधिकरण पट्टेदार को उक्त प्रयोजनार्थ तीन दिनों का पूर्व नोटिस देगा और पट्टेदार इस उपखण्ड के उपबन्धों की नोटिस किरायेदारों को देगा।

11. कि पट्टेदार प्राधिकरण द्वारा विहित शिल्पकला तथा उद्विक्षेप नियन्त्रण अनुसार भवन का निर्माण करेगा। अर्ध पृथक मकानों की दशा में जिनमें दोनों प्लाट धारक विहित उद्विक्षेप से अतिरिक्त उद्विक्षेप को ग्रहण करना चाहे तो प्राधिकरण ऐसे पट्टेदारों को ऐसा किए जाने की अनुमति प्रदान कर देगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि दोनों की ऊंचाई तथा सेटबैक एक-सी हो।

12. कि सिवाय उस सीमा तक जिसके लिए प्राधिकरण ने पट्टेदार को लिखित अनुमति प्रदान की हो पट्टेदार पट्टा भूखण्ड के किसी भाग पर न तो कोई अस्तबल शेड या अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य करेगा अथवा घोड़े, चौपाये कुत्ते, कुकलूट या अन्य पशु रखने के लिए स्थान बनायेगा और न ही उनके बनाये जाने की अनुमति देगा।

Ansal Housing & Construction Ltd.

Authorised Signatory

13. यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ या सेना या अनियन्त्रण भीड़ द्वारा किये गये हिंसा पूर्वक कार्यों या अन्य अप्रतिरोध शक्ति प्रयोग के कारण पट्टा भूखण्ड का कोई सारभूत भाग पूर्णतया या आंशिक रूप से नष्ट हो जाये या भवन प्रयोजनार्थ सारभूत रूप से या स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाये तो ऐसी दशा पट्टेदार न तो इस पट्टे को समाप्त करने के अपने विकल्प को काम में लाएगा और न ही उनके कारण हुई क्षति की पूर्ति करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को उत्तरदायी ठहरायेगा।

14. यह कि पट्टेदार को पट्टा भूखण्ड पर दिनांक........................तक भवन का निर्माण करना और उसे पूरा करना आवश्यक होगा। पट्टेदार द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने में असफल रहने के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह पट्टा निरस्त करके पट्टा भूखण्ड का वापिस प्राप्त कर लें।

15. पट्टेदार द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण न किये जाने की दशा में प्राधिकरण पट्टा निरस्तीकरण एवं भूखण्ड को वापस प्राप्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए ऐसी शर्तो के साथ अतिरिक्त धनराशि तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार लेवी के रूप में प्राप्त कर निर्माण अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है लेवी की दर भिन्न-2 वृद्धि वर्षो के लिए अलग-2 हो सकती है तथा निर्धारित लेवी दर के विषय में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा अन्यथा प्राधिकरण निर्माण हेतु समय वृद्धि के लिए बाध्य नहीं होगा।

16. यह कि किसी कारण न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अथवा वर्तमान किसी वैधानिक प्राविधान या उसके संशोधन अथवा नये कानूनी प्राविधान के परिणाम स्वरूप यदि प्रतिकर की राशि बढ़ जाती है तो उस अतिरिक्त धनराशि के भुगतान का भूस्वामी के प्रति दायित्व पट्टेदार का होगा।

(क) इससे पूर्व किसी बात के अन्यथा होते हुए भी यदि प्राधिकरण के मतानुसार (जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकर होगा) पट्टेदार अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा इससे पूर्व की शर्तो प्रसंविदाओं में से किसी का उलंघन किया गया हो, जिनका पालन तथा सम्पादन किया जाना उनका कर्तव्य था तथा विशेषतया और इस उपखण्ड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि पट्टेदार पूर्वोक्त प्राविधान के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के पूर्व पट्टा भूखण्ड का अन्तरण परित्याग बन्धक या अभयार्पण करता है या अन्तरित भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र से कम का अन्तरण परित्याग बन्धक या अभ्यार्पण करता है या प्राधिकरण को देय कोई धनराशि इस पट्टे के अधीन देय शेष रहती है और पट्टेदार उस का भुगतान नहीं करता है। या यदि पट्टेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें इस पट्टे के अधिकार एतदद्वारा निहित किये गये हों दिवालिया निर्णत हो गया हो तो प्राधिकरण के लिए वह वैध होगा कि (अनुबन्ध के उलंघन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करने के किसी

Ansal Housing & Construction Ltd.

Authorised Signatory

अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) वह पट्टा भूखण्ड या उसके किसी भाग पर अनतिरित सम्पूर्ण भूखण्ड के नाम पर पुनः प्रवेश कर ले और पट्टा समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात :-

(1) यदि पुनः प्रवेश के समय पट्टा भूखण्ड पर पट्टेदार द्वारा भवन का निर्माण नहीं किया गया हो तो ऐसी दशा में प्राधिकरण पट्टा भूखण्ड का पुनः आवंटन कर सकेगा और इस पट्टे की समाप्ति या पट्टेदार द्वारा अभित्यजन जैसी भी स्थिति हो के दिनांक तक प्रीमियम की सभी किश्तों पर देय सम्पूर्ण ब्याज तथा पट्टे के किराये के बकाए को काटकर और साथ ही कुल ऊपरलिखित प्रीमियम का 5 प्रतिशत काट कर शेष धनराशि बिना ब्याज पट्टेदार को लौटा देगा पर उपरोक्त इस शर्त के अधीन होगा की न्यूनतम काटी गयी धनराशि 250/- से कम न होगी।

(2) यदि पुनः प्रवेश के समय पट्टेदार द्वारा पट्टा भूखण्ड पर किसी भवन का निर्माण किया गया हो तो पट्टेदार, पुनः प्रवेश के दिनांक से 3 मास की अवधि के भीतर उस पर से सभी निर्माण कार्य या भवन जुड़नार तथा वस्तुए जो किसी समय या उक्त अवधि के दौरान उक्त भूखण्ड पर या इसमें जुड़ी या लगाई गई हो हटा लेगा और उक्त स्थान को ऐसी अच्छी दशा में लायेगा जैसे कि वह पट्टा देने के समय थी. पर उपरोक्त के सम्बन्ध में चूक किये जाए जाने पर वे उक्त भूखण्ड और उस पर होने वाले भवन जुड़नार और वस्तुओं के सम्बन्ध में पट्टेदार को किसी प्रतिकार का भुगतान किये बिना प्राधिकरण की सम्पत्ति हो जायेगी यदि पट्टेदार पूर्व निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्यो भवनों, जुड़नारों और वस्तुओं को हटा लेता है तो पट्टा भूखण्ड का पुनः आवंटन कर दिया जायेगा और पट्टेदार को उपरोक्त उपखण्ड (1) में दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार निकाली गई धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकरण अपने विवेकानुसार उनके लिए पट्टेदार से उक्त निर्माण कार्यो, भवनों और जुड़नारों के क्रय करने के लिए और भूमि में होने वाले उसके हितों को क्रय करने के लिए सहमत हो सकेगा जैसा कि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति हो जाए।

(3) और इस विलेख के पक्षों द्वारा तथा उनके बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित सम्बन्ध में सहमति और घोषणा की जाती है :-

(ख) यदि प्राधिकरण को पट्टेदार द्वारा या उसके माध्यम या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तो के उलंघन के कारण पट्टा भूखण्ड का नया पट्टा स्वीकार करने के कारण कोई हानि सहन करनी पड़ती है, तो ऐसी हानि की वसूली प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार से की जा सकेगी।

(ग) यदि इस विलेख के अधीन किसी नोटिस के दिये जाने की अपेक्षा की गई हो तो वह उस दशा में पट्टेदार पर दी गई यथेष्ट समझी जायेगी जब कि वह प्राधिकरण के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा हस्तान्तरित की गई हो और उसे

सहायक अभियन्ता
के॰डी॰ए॰ पाकबड़

Ansal Housing & Construction Ltd.

Authorised Signatory

पट्टा भूखण्ड पर छोड दिया गया हो और प्राधिकरण के किसी निर्णय की अधिसूचना को ऐसे निर्णय का यथेष्ट साक्ष्य उस दशा में समझा जायेगा जबकि उस पर प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हो।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस बिलेख के पक्षी के ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर किए।

साक्षी

हस्ताक्षर

साक्षी

प्राधिकृत अधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

साक्षी

हस्ताक्षर

Ansal Housing & Costruction Ltd.

साक्षी

पट्टेदार Authorised Signatory

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक प्रकार से मूल की सही तथा शुद्ध प्रति है।

पट्टेदार

प्राधिकृत अधिकारी

**विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद**

(1)

[illegible] 36/[illegible] 2007 [illegible]

[illegible] 2004 [illegible] 6.0945 [illegible]

पूर्व कलेक्ट मु[illegible] पद [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सब रजिस्ट्रार [illegible]

कलक्टर [illegible]

[illegible] 1559 39/48 1649

25/2/04

[illegible]